

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सतीश कुमार तिवारी,
अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार,
धरमपुर राम दक्षिण टोला,
पोस्ट-भगवानपुर, शिलानाथ ठाकुर,
मुजफ्फरपुर-843120,
मो०-7004535013/

पटना-15,

दिनांक 19.8.25

विषय:-

आपके सूचनावेदन दिनांक-11.07.2025 (आई०डी०सं०-27382/
08.08.2025) के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके सूचनावेदन दिनांक-11.07.2025
(आई०डी०सं०-27382/08.08.2025) में वांछित सूचना के संदर्भ में कंडिकावार सूचना
निम्नवत् है-

(i) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि का निर्धारण बिहार
सरकारी सेवक परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 (छायाप्रति संलग्न) में प्रावधानित
है।

(ii) उक्त व्यवस्था प्रासंगिक नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि-
28.02.2024 से प्रभावी है।

(iii) परिवीक्षा अवधि में अवकाश की अनुमान्यता/देयता सामान्यतया वहीं
होती है जो सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त होगी।

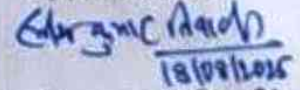
(iv) किसी वर्ष में बीच में नियुक्त/सेवानिवृत्त होने पर उस वर्ष अनुपातिक
आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होता है।

(v) इस संदर्भ में विस्तृत प्रावधान बिहार सेवा संहिता में विहित है।

(vi) इस संदर्भ में विस्तृत प्रावधान बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240
एवं 196 में विहित है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासमाजन,


18/08/2025

(सतीश कुमार तिवारी)

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

पत्रांक -3 / एम0-09 / 2019 सा०प्र०.../ 2323 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला योजना पदाधिकारी,
समाहरणालय (जिला योजना कार्यालय),
किशनगंज, बिहार।

पटना-15, दिनांक 22-12-2020

विषय:- परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त योजना सहायकों के उपार्जित अवकाश की गणना के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 968 दिनांक-07.12.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रसंगवर्णित पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार सेवा संहिता के नियम-227 में स्थायी सरकारी सेवकों के संदर्भ में प्रत्येक 11 दिवस पर 01 दिन के उपार्जित अवकाश की गणना का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिहार सेवा संहिता के नियम-196 के प्रावधान के तहत परीक्ष्यमान सरकारी सेवकों को भी उन्हीं बन्धेजों पर अवकाश अनुमान्य है जो तब लागू होते जब वे परीक्ष्यमान न होकर मौलिक रूप से पद धारण करते। उक्त प्रावधान के आलोक में परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों के उपार्जित अवकाश की गणना भी बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के प्रावधान के अनुरूप (प्रत्येक 11 दिवस पर 01 दिन) की जायेगी।

विश्वासमाजन,

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

स्वापना।

कृपया कृपया
कृपया कृपया
कृपया कृपया

08/01/2021

ई-मेल

पत्र सं०-04 / स्था०-18(विविध)-35 / 2024 588

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
उप सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण,
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना।

पटना, दिनांक- 07/02/25

विषय:-

परिदृश्यमान रूप से नवनियुक्त कनीय लेखा लिपिक / निम्न वर्गीय लिपिक का उपार्जित अवकाश की गणना करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-1626, दिनांक-21.12.2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा माँगे गए मार्गदर्शन के संबंध में बिहार सेवा संहिता के नियम 227 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि नवनियुक्त कनीय लेखा लिपिक / निम्न वर्गीय लिपिक कर्मियों के उपार्जित अवकाश की गणना बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के आलोक में कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के 1/11 के अनुसार ही की जाएगी।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासमाजन

(सुनील कुमार वर्मा)
उप सचिव।